न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./04/2021/बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. देराजराम पुत्र भोमाराम वगै. **बनाम** 1.लिछमणाराम पुत्र पुरखाराम का.मु. वगै.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

1. वकील श्री कैलाश एन. सारण अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–08.09.2023

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि वादीगण के पूर्वजों का मौजा रेतऊ के खसरा संख्या 775 रकबा 414.18 बीघा, खसरा संख्या 474 रकबा 1.12 बीघा गैर मुमकिन ढाणी एवं मौजा खींपर के खसरा संख्या 1 रकबा 375.05 बीघा के आये हुए थे जिसमें संवत 2022 से 2025 की जमाबंदी में हल्का पटवारी द्वारा मौजा खींपर के खसरा संख्या 1 रकबा 375.05 बीघा में अपीलाकर्तागण के पूर्वज एवं उतरदाता संख्या 1 व 5 का संयुक्त हिस्सा 1/2 गलत तरीके से दर्ज कर दिया तथा प्रतिवादीगण के हिस्से में 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया। जबकि वादीगण का 2/3 हिस्सा करवाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई करते हुए दिनांक 09.03.1987 को प्राथमिक डिक्री जारी कर वादीगण का 2/3 हिस्सा करवाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई करते हुए दिनांक 09.03.1987 को प्राथमिक डिक्री जारी कर वादीगण का 2/3 हिस्सा घोषित कर दिया था एवं बंटवाड़ा भी कर दिया था और विभाजन प्रस्ताव श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर(वर्तमान बायतु) से तलब किया जो दिनांक 05.09.1987 को मौजा रतेऊ एवं खींपर दोनों खेतों के तैयार कर न्यायालय में दिनांक 19.10.1987 को रेकर्ड पर लिया गया और उसी के अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिन अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। जिसके पश्चात अपीलांटगण के पूर्वज अनपढ होने से उन्हे मौजा खींपर के खेत खसरा संख्या 1 के विभाजन प्रस्ताव में गलती होने का ध्यान नहीं रहा और न ही उतरदाता संख्या 01 के वारिसान द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आज दिन तक किसी प्रकार से अपीलकर्तागण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं की गई। अभी हाल ही में कुछ अर्सा पूर्व उतरदाता संख्या 1 के वारिसान द्वारा अपने हिस्से का बंटवाडा करवाया और अपीलकर्तागण को वताया कि अपीलकर्तागण की ढाणीया, टांके, उनके हिस्से में आ रहे है इसलिए वह उनको छोड़कर आगे धोरे वाली जमीन में चले जावे। तव अपीलकर्तागण द्वारा अपने हल्का पटवारी से सम्पर्क कर जमीन के कागजात, जमावन्दी, नक्शा प्राप्त करने पर सर्वप्रथम वार ज्ञान हुआ कि 1987 में अपीलकर्तागण के पूर्वजों द्वारा किये गये वाद में पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना में मौजा खींपर के खेत खसरा संख्या 1 के वंटवाड़े की तरमीम गलत हुई है। तब अपीलकर्तागण ने अपने अधिवक्ता नियुक्त कर हस्तगत निर्णय एवं डिक्री की सम्पूर्ण पत्रावली रैकर्ड से दिनांक 23.12.2020 को मांगी गई जो दिनांक 29.12.2020 को तैयार होकर प्राप्त हुई तव सम्पूर्ण कार्यवाही का ज्ञान हुआ ऐसी स्थिति में उक्त अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण को तकनीकी बिंदुओं पर निस्तारण करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अपील के तथ्योनुसार एवं प्रकरण के तथ्योनुसार नरमाई का रूख रखते हुए। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की फरमाई जावे।

अधिवक्तागण रेस्पोडेंटस ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलकर्ता ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.10.1987 के विरूद्ध दिनांक 18.01.2021 को यानि तकरीबन 33 वर्ष के बाद बेबुनियाद आधारों पर यह अपील पेश की है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को वास्तविक जानकारी दिनांक 19.10. 1987 को हो गई थी, क्योंकि इस वाद की पूरी प्रक्रिया की जानकारी अपीलांटस को रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिसमें अपीलांटस/वादी के वकील ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की है। अपीलाधीनअपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2017(1) Page 117

DNJ 2022(1) Page 374

RRT 2016(2) Page 1110

DNJ 2020 (Rev.) 221

RRT 2017(1) Page 711

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.1987 को हस्तगत प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। अपीलांटस के पिता देराजराम स्वयं वादी था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस/वादी के अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव पर वक्त बहस सहमति जाहिर की तत्पश्चात अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। मूल प्रकरण में निर्णय पारित होने के बाद लगभग 33 वर्ष की एक लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने पर हस्तगत मामला पेश किये जाने के फलस्वरूप प्रथमतः हस्तगत अपील मियाद से बाधित होना प्रकट होता है। प्रकरण में कारित विलम्ब को क्षमा किए जाने बाबत प्रार्थी ने भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना–पत्र में जिन कारणों का उल्लेख किया है, उनका अध्ययन किया गया। बाद अध्ययन न्यायालय का निष्कर्ष है कि धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में अत्यधिक विलम्ब कारित करने के उल्लेखित कारण ऐसे प्रकट नहीं होते है जिन्हें सद्भावी व पर्याप्त मानकर उनके आधार पर 33 वर्ष की एक लम्बी मियाद को क्षम्य किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। मियाद अधिनियम के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्य स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से मामले में अत्यन्त भारी रूप से कारित विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर हूवहू चस्पा होते है। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 33 वर्ष की देरी के वाद पेश की गई। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर